राजस्थान –सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी– मनोज, आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या – 106/24 प्रा0 45

1– श्रीमती प्रेमी पत्नि नारायणलाल सुथार निवासी-नाबरिया राछेटी तहसील-आमेट

–प्रार्थी

बनाम

1– रवि S/o श्री मदनलाल ढोली निवासी-नवलपुरा तहसील-माण्डल [वगैरा]
[संलग्न प्रपत्र प्रमाणित]

–विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांकः– 14.6.24

::आदेश::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम.........बागोर.........पटवार हल्का.........बागोर I.........तहसील माण्डल में उसके खाते /संयुक्त खाते की आराजी न0 7522/964, 7526/964 कुल किता.........02.........रकबा 1.0118.........हेक्टेयर स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 24.5.24.............को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काश्त काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्वान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम बागोर.........पटवार हल्का.........बागोर I.........तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी नं. 7522/964, 7526/964 कुल किता.........02.........रकबा 1.0118 हेक्टेयर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी लिये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू–अभिलेख निरीक्षक बागोर को.........600.........रुपये/– कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान् की मौजुदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील [illegible] की जावें। फसल खडी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj
Date: 2024.08.02 11:18:02 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपिः– तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर माण्डल

4/6/24 पत्रावली पेश हुई, वकील प्रार्थिया उपस्थित, विपक्षीगण के सम्मन बाद तामिल होकर प्राप्त हुए जिसे शामिल पत्रावली किये गये। विपक्षीगण अनुपस्थित, विपक्षीगण को कितनी बार रूक रूक कर आवाजे दिलाये जाने के बाद भी उपस्थित नही। इनके विरूद्व एक तरफा कार्यवाही किये जाने का आदेश दिया जाता है वकील प्रार्थिया का प्रा० पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय पृथक से लिखा जाकर शा० प० किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj
Date: 2024.08.02 11:18:02 IST
Reason: SelfAttested